न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन भूअभिलेख अधिकारी
श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री सुभाष चन्द्र {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्या : 05 /2022

प्रार्थी बनाम	अप्रार्थी
1. पंकज कुमार पुत्र केवल राम मेघवाल निवासी 32 एफ अरायण, जिला श्रीगंगानगर।	1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीकरणपुर

तारीख रजू: 14/02/2022

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट

--निर्णय-- **दिनांक :** 14/02/2022

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी के द्वारा निवेदन किया कि चक 34 एफ की जमाबन्दी के खाता संख्या 159/74 में प्रार्थी पंकज कुमार के नाम 0.534 हैक्टर भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। उक्त जमाबन्दी में प्रार्थी के पिता का नाम केवल दर्ज है। जबकि सही नाम केवल राम है। अतः उक्त जमाबन्दी में प्रार्थी का नाम पंकज कुमार पुत्र केवल के स्थान पर पंकज कुमार पुत्र केवल राम दर्ज किये जाने के आदेश फरमावे।

रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर प्राप्त होने पर प्रार्थना पत्र भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 में दर्ज रजिस्टर किया गया। व पत्रावली का अवलोकन किया गया। रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर के अनुसार प्रार्थी के नाम चक 34 एफ में भूमि स्थित है। जिसमें प्रार्थी के पिता का नाम केवल दर्ज है, जबकि सही नाम केवल राम है। मुताबिक रिपोर्ट पटवारी चक 34 एफ के उपहार पत्र से दर्ज ईन्तकाल संख्या 861 से प्रार्थी पंकज कुमार पुत्र केवल के नाम से भूमि दर्ज रिकॉर्ड हुई है। पंजीकृत दस्तावेज दानपत्र में नाम पंकज कुमार पुत्र केवल दर्ज है। तदानुसार की इन्तकाल दर्ज हुआ है। परन्तु प्रार्थी के पिता का अन्य कागजात में नाम केवल राम दर्ज है। प्रार्थी के पिता के पहचान सम्बन्धी दस्तावेजात यथा आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, जन आधार कार्ड, प्रार्थी पंकज कुमार के आधार कार्ड में नाम केवल राम दर्ज है।

पत्रावली तथा इसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात के अवलोकन से स्पष्ट है। कि प्रार्थी के द्वारा चक 34 एफ की जमाबन्दी के खाता संख्या 159/74 में दर्ज नाम पंकज कुमार पुत्र केवल के स्थान पर पंकज कुमार पुत्र केवल राम अंकित करवाने बाबत निवेदन किया है। प्रार्थी व प्रार्थी के पिता के पहचान सम्बन्धी दस्तावेजात में पिता का नाम केवल राम दर्ज है। जबकि उक्त जमाबन्दी में पिता का नाम केवल है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

(मोहर: उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर))

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

पंकज कुमार बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान जरिए तहसीलदार श्रीकरणपुर
प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 भू.रा. अधि. प्रकरण संख्या /2022

-:आदेश:-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थी अंतर्गत धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम 1956 भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर चक 34 एफ की जमाबन्दी के खाता संख्या 159/74 में अंकित नाम पंकज कुमार पुत्र केवल के स्थान पर पंकज कुमार पुत्र केवल राम दर्ज किए जाने के आदेश दिए जाते है। आदेश इस आशय का तहसीलदार श्रीकरणपुर के नाम जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/ लेख भण्डार जमा हो।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन भू अभिलेख अधिकारी
श्री करणपुर, जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

निर्णय आज दिनांक 14.02.2022 को लिखवाया सरे इजलास सुनाया गया।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन भू अभिलेख अधिकारी
श्री करणपुर, जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) ★ श्री करणपुर (श्री गंगानगर)